न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 99/16 निर्णय दिनांकः— 28.01.2019

1. मु. मुमताज पत्नी बदरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 3 जेडडब्ल्यूएम रानेर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मोहम्बद इस्माईल पुत्र बदरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 3 जेडडब्ल्यूएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29—06—2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 29—06—2016 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र जैरकार रहते हुए वादगत् भूमि का बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्ा व उसके पति द्वारा विशेष आवंटन हेतु चक 5 जेड0डब्ल्यू0एम के मुरब्बा नम्बर 211/42 की 07 बीघा 18 बिस्वा भूमि के बाबत् वर्ष 2007 मे प्रार्थना पत्रप्रस्तुत किया गया था तथा अरनेस्ट मनी के रूप में 500/— रूपये जरिये जीए 55 खजानाराज में जमा करवाये गये थे। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। इस प्रकार अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु मोहम्मद इस्माईल पुत्र बदरदीन, बदरदीन पुत्र निजामदीन व अलाजवाया पुत्र महमूद खॉ के आवेदन है तथा प्रथम प्राथमिकता का आवेदक ग्राम रानेर का 1996 से पहले का मूल निवासी है, इस आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिकता सर्वोच्य श्रेणी की है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाता है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या बिल्कुल गलत है क्योंकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 से जैरकार है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के रकबे में ही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के रकबे में है तथा वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की ही बनती है। उक्त समस्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष मौजूद रहते हुए भी अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा वादगत् भूमि का आवंटन आवंटन

सलाहकार समिति की राय के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने आवंटन सलाहकार समिति की मिटिंग बुलाये बिना ही स्वयं अपनी मनमर्जी से बिना वरियता के वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना आवंटन सलाहकार समिति की राये के किया गया आवंटन प्रारम्भतः ही शून्य एवं एब ईनिशियो वाईड आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व अमला से मिली भगत करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कांट—छांट करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन बाले—बाले करवाया गया है। यह तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पत्र के अवलोकन से भलींभांति साबित भी है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही मात्र वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किये जाने के बाबत् की गई साबित है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि चक 5 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 211/42 में 07 बीघा 18 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट द्वारा तमात सबूत यथा तहसील की भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र,

मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीलिंग सीमा से भूमि कम होने का प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची वर्ष 1988, 2003, सद्भावी कृषक प्रमाण पत्र व आवेदक व पत्नि के दो पासपार्ट साईज फोटो आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम सबूतों की जॉच की गई तथा जॉच उपरान्त अदालत मातहत द्वारा पाया गया कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदकों की तुलना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सर्वोच्य वरियता होने पर तथा आवंटन हेतु तमाम औपचारिकता पूर्ण होने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया हैं।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वर्तमान में कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि चक 5 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 1211/42 में 07 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट्ा का कथन है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन पत्र वर्ष 2007 से जैरकार रहा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे साबित है कि अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था, जिसका अंकन स्वमेव अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में किया गया है।

(3) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में अभिलिखित किया गया है कि इस संबंध में संयुक्त उपखण्ड खाजुवाला में हुई आवंटन सलाहकार समिति में प्रथम श्रेणी के आवेदकों/एकल आवेदकों को आवंटन किये जाने बाबत् निर्णय लिया जा चुका है। उक्त बैठक किस दिनांक को आहूत की गई व उक्त बैठक में किस प्रकार के निर्णय लिये गये इस संबंध में कोई खुलासा अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में अंकित नहीं किया गया है।

(4) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी आवेदकों के धारण की भूमि के संबंध में संबंधित पटवारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा आवेदकों द्वारा अंकित उनके धारण की भूमि के आधार पर वरियता कायम करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी आवेदकों के धारण में निहित भूमि के बारे में संबंधित तहसीलदार से वास्तविक धारण की भूमि के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त आवेदकों के धारण में निहित भूमि के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया जाता। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है।

(5) चूंकि प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम आवंटन प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, वादगत् भूमि के आवंटन हेतु पात्र अन्य आवेदकों को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसे आवंटन की पुष्टि किया जाना न्याय का गला घोटनें जैसा होगा। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना उचित पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—06—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी आवदेकों/पक्षकारों

को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व सभी तथ्यों की जॉच करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर